वर्ष	अंश पूंजी	ऋण	अनुदान	कुल
1982-83	4.50	2.25	1.35	8.10
1983-84	5.50	18.76	9.49	33.75
1984-85	7.00	11.00	5.00	23.00
1985-86	11.00	6.75	2.25	20.00
1986-87	7.00	18.00	5.00	30.00
1987-88	9.00	23.00	8.00	40.00
1988-89	10.80	20.53	7.49	38.82
1989-90	8.00	19.00	8.00	35.00
1990-91	8.00	24.00	8.00	40.00
1991-92	60.00	11.00	5.00	76.00
1992-93	12.80	16.00	8.00	36.80
1993-94	8.00	8.00	4.00	20.00
1994-95	8.00	8.00	4.00	20.00
योग	250.84	316.74	91.83	659.41

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*106. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

(घ) इन कार्यक्रमों की कब तक समीक्षा की जाएगी; और

(ङ) क्या राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के लिए इन कार्यक्रमों में कोई विशेष प्रयास किए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) गरीबी उन्मूलन के लिए तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) इन कार्यक्रमों की केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के शासी निकाय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन भी किया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इन स्कीमों की वास्तविक प्रगति की मानीटरिंग करता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "क्षेत्र अधिकारियों" की एक स्कीम आरम्भ की है, जिसके तहत अधिकारियों की एक टीम राज्यों का दौरा करती है और ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की इन तीनों तथा अन्य स्कीमों के संदर्भ में मौजूदा समस्याओं और प्रगति का प्रत्यक्ष ब्यौरा देती है, यह स्कीम 1993 से चल रही है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रमों का आवधिक समवर्ती मूल्यांकन करता है।

विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सुचारू बनाने और इनके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए गए है।

मूल्यांकन अध्ययनों और क्षेत्र से प्राप्त निरन्तर फीडबैक के निष्कर्षों के आधार पर आई०आर०डी०पी० में कुछ संशोधनों किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने में इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं: (i) प्रति परिवार निवेश स्तर में वृद्धि, (ii) चालू वर्ष के दौरान देश में 213 जिलों तक परिवार जमा योजना का विस्तार और (iii) आई०आर०डी०पी० परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार के लिए आधार संरचना मानदण्डों में संशोधन। ये उपाय मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित किए जाने हैं।

जे०आर०वाई० के तहत निधियां देश में प्रत्येक

जिले/गांव तक पहुंचती हैं। बहरहाल, यह पाया गया कि संसाधन देश में थोड़े स्तर पर फैले हैं। इसलिए, चुनिन्दा पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अर्ध-रोजगारी थी, जे०आर०वाई० को सघन किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 120 चुनिन्दा पिछड़े जिलों में सघन जे०आर०वाई० आरम्भ की गई थी जिसमें इन जिलों को दी जाने वाली निधियों में पर्याप्त वृद्धि की गई थी। आई०जे०आर०वाई० के तहत पहचान किए गए इन 120 पिछड़े जिलों में से 17 जिले मय प्रदेश में हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि के लीन मौसम के दौरान सभी समर्थ व्यक्तियों को, जो काम की तलाश में और कार्य करना चाहते थे, सौ दिन के कैजुअल मैनुअल कार्य का निश्चित मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2.10.93 से ई०ए०एस० 1752 सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर०पी०डी०एस०) ब्लॉकों में आरम्भ की गई थी। अब ई०ए०एस० देश के 2475 ब्लाकों में चल रही है। मध्य प्रदेश में ई०ए०एस० के तहत शामिल किए गए ब्लॉकों की कुल संख्या 297 है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, हां। आई०आर०डी०पी० के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की इस शर्त के साथ रक्षा की जाती है कि कम से कम 50% लाभग्राही परिवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होने चाहिएं। प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत आई०जे०आर०वाई० और ई०ए०एस० में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने पर फोकस किया गया। आई०जे०आर०वाई० के तहत शामिल किए गए सभी 17 जिले जनजातीय जिले है। ई०ए०एस० के तहत शामिल किए गए 297 ब्लॉकों में से 174 ब्लॉक मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

Estimated Savings/Earnings by India after joining WTO

*107. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the estimated amount of earnings or savings India is expected to make in terms of remittances in the first year after joining the World Trade Organisation allowing free movement of professionals and opening of banking and financial service sectors; and

(b) the item-wise details of such earnings and savings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Agreement of Financial Services and Movement of Natural Persons for India provides a frame work for Trade in Services in these sectors. Precise gains in terms of earnings will depend on a number of other factors and cannot be quantified. It is Government's overall assessment that the improved rules governing international trade and the market access opportunities created by the Uruguay Round in the areas of goods and services would on the whole be advantageous to us in increasing our exports.

देश में कोयला खानों की संख्या

*108. श्री रामजीलाल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला खानों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जिनका निजीकरण कर दिया गया है;

(ख) इस वर्ष तथा विगत वर्षों में इन कोयला खानों से "ए", "बी" और "सी" ग्रेड का कुल कितना कोयला निकाला गया है;

(ग) सरकार तापीय तथा अन्य विद्युत परियोजनाओं को "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के कोयले का आवंटन किस प्रकार करती है;

(घ) क्या यह सच है कि तापीय परियोजनाओं को कोयले की घटिया किस्म की सप्लाई होने के कारण कम विद्युत उत्पादन हो रहा है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) देश में कुल 598 कोलियरियां विद्यमान हैं, जिसमें से 8 निजी क्षेत्र के अधीन हैं।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) सामान्यतः तापीय विद्युत परियोजना को "ए",